प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिलाः **A.C.B O.P. Alwar-1st** थानाः **C.P.S, A.C.B. Jaipur** वर्ष 2022

प्र.ई.रि.सं. 58/22 दिनांक 23/02/2022

2.–(1) अधिनियमः भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारा .....7, 7 ए

(2) अधिनियमः भारतीय दण्ड संहिता धारा..... 120 बी

(3) अधिनियम..... धारायें.....

(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.....496.....समय.....5'55 Pm

(ब) अपराध के घटने का दिनः सोमवार, दिनांक 21/02/2022, समय 1.30 पी.एम.से3.51पी.एम.तक

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक – 16/02/2022, समय 4.30 पी.एम.

4.–सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक लिखित

5–घटनास्थल :

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः दक्षिण, दूरी करीब 02 किमी., ए.सी.बी., चौकी अलवर सें

(ब) पताः– **हरीश हॉस्पीटल अलवर एवं कार्यालय नगर विकास न्यास अलवर**

बीट संख्या ..... जरायमदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं, तों पुलिस थाना .....जिला.....

6.– परिवादी/सूचनाकर्ता :–

(अ)नाम :– श्री रूपेन्द्र कुमार मेहरा

(ब)पिता का नाम :– श्री गिरधारी लाल बैरवा

(स)जन्म तिथि :– उम्र 21 वर्ष

(द)राष्ट्रीयता :– भारतीय

(य)पासपोर्ट संख्या.....जारी होने की तिथि.....जारी होने की जगह

(र)व्यवसायः–

(ल)पताः– महूकलॉ पोस्ट महूखेडा तह. बसवा, जिला दौसा हाल नयाबास, अलवर मो. न. 8094223818

7.– ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1– **श्री मुकेश कुमार चौधरी पुत्र श्री हरदयाल चौधरी, उम्र 46 साल निवासी – मेहन्दीबाग मौहल्ला, लाल डिग्गी चौराहे के पास जयपुर रोड अलवर, पुलिस थाना अरावली विहार अलवर हाल कनिष्ठ लिपिक, नियमन शाखा, नगर विकास न्यास अलवर (राज.)**

2– **श्री नरेन्द्र कुमार जाटव पुत्र श्री खुबीराम जाटव, उम्र 35 साल निवासी मकान नं. 105 स्कीम नं. 10 बी अलवर हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (निविदा कर्मी), संस्थापन शाखा, नगर विकास न्यास अलवर जरिये चौकस पूर्व सैनिक सिक्योरिटी सर्विस अभिनव सहकारी सोसायटी लिमिटेड, विवेकानन्द नगर सैक्टर नं. 02 भगोरिया जनरल स्टोर अलवर (राज.)**

3– **श्री कमलेश सैनी पुत्र श्री डालचन्द सैनी, उम्र 33साल निवासी सी–56 शक्तिनगर, साहब जोहडा अलवर, पुलिस थाना– शिवाजी पार्क अलवर हाल सिक्योरिटी गार्ड (निविदा कर्मी), संस्थापन शाखा, नगर विकास न्यास अलवर जरिये इण्डियन एक्ससे वैलफेयर सोसायटी लिमिटेड, सिरसी रोड, खातीपुरा जयपुर (राज.)**

8.– परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारण :– .....

9.– चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।):–

10.–चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्यः– 20,000/–रूपयें ट्रेप राशि

11.–पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो).....

12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

प्रकरण के हालात इस प्रकार है कि दिनांक 16–02–2022 को समय 4.30 पी.एम. पर श्री रूपेन्द्र कुमार मेहरा पुत्र श्री गिरधारी लाल बैरवा, उम्र 21 साल, निवासी महूकलॉ, पोस्ट महूखेडा, तह. बसवा, जिला दौसा हाल निवासी नयाबास, अलवर ने कार्यालय अतिरक्ति पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचर निरोधक ब्यूरो अलवर प्रथम, अलवर पर उपस्थित होकर मन् पुलिस निरीक्षक प्रेम चन्द को एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश कि थी कि " सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी अलवर विषय– UIT के रिशवत खोर श्री मुकेश चौधरी बाबू व श्री नरेन्द्र कुमार कम्प्यूटर ऑपरेटर को रिशवत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाने बाबत्। महोदय निवेदन है कि मै महूकलॉ का बास तह. बसवा जिला दौसा का रहने वाला हूं। हमने मेरी मम्मी शारदा देवी पत्नी श्री गिरधारी लाल बैरवा के नाम से खुदनपुरी (दुर्गा कॉलोनी) अलवर में एक आवासीय भूखण्ड ले रखा है उक्त भूखण्ड का UIT अलवर से पट्टा जारी करवाने के लिए मैने मेरी मम्मी शारदा देवी के नाम से दिनांक 21.09.2020 को UIT अलवर में आवेदन किया था। मेरी मम्मी शारदा देवी के नाम से उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी नही होने पर करीब डेढ माह पूर्व मे UIT अलवर की नियमन शाखा में जाकर उक्त पट्टा पत्रावली का मालूम किया तो उक्त पत्रावली नियमन शाखा में जाकर उक्त पट्टा पत्रावली का मालूम किया तो उक्त पत्रावली नियमन

शाखा के श्री मुकेश चौधरी बाबू के पास थी मैने मुकेश चौधरी बाबू नियमन शाखा से हमारे पट्टा जारी करवाने के लिए कहाँ तो श्री मुकेश चौधरी बाबू ने मेरे से कहाँ कि UIT में पट्टे ऐसे ही जारी नही होते है। इसके लिये तेरे को खर्चा पानी देना होगा तथा आपको यहाँ फालतू चक्कर लगाने कि जरूरत नही है। आपके पास फोन आ जायेगा कि आपको पट्टा फीस व हमारे खर्चा पानी के कितने पैसे देने पडेगे। इसके बाद दिनांक 16.02.22 को मेरे मो.न. 8094223818 पर श्री नरेन्द्र कुमार कम्प्यूटर ऑपरेटर UIT अलवर का मिस कॉल आया जिस पर मैने मेरे मो. से नरेन्द्र कुमार के मो.नं 9214944964 पर वार्ता की तो नरेन्द्र कुमार कम्प्यूटर ऑपरेटर ने मेरा पट्टा जारी करवाने की एवज में श्री मुकेश कुमार बाबू व अपने स्वय के लिये मेरे से 15000/– रिशवत की मांग कि तथा 18000 रूपये पट्टा फीस के जमा करवाने के लिए कहाँ। मै मेरे जायज काम पट्टा जारी करवाने कि एवज मे श्री मुकेश चौधरी बाबू व श्री नरेन्द्र कुमार कम्प्यूटर ऑपरेटर नियमन शाखा UIT अलवर को रिशवत नही देना चाहता हूं तथा उक्त को रिशवत लेते हुए पकडवाना चाहता हूं । कृपया कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। दिनांक 16.02.2022 प्रार्थी हस्ताक्षर रूपेन्द्र कुमार मेहरा s/o श्री गिरधारी लाल बैरवा, उम्र 21 साल R/o महूकलॉ पोस्ट महूखेडा तह. बसवा, जिला दौसा हाल नयाबास, अलवर मो.न. 8094223818" पेश की। परिवादी की उक्त रिपोर्ट का अवलोकन कर मजीद पूछताछ की तो मामला रिश्वत माँग का बनना पाया गया। जिस पर दिनांक 16–02–2021 एवं 17–02–2022 को रिश्वत की माँग का गोपनीय सत्यापन जरिये मोबाईल करवाया गया तो सदिग्ध आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार कम्प्यूटर ऑपरेटर, नगर विकास न्यास, अलवर ने परिवादी श्री रूपेन्द्र कुमार से परिवादी की माताजी शारदा देवी का पट्टा जारी करवाने की एवज में अपने स्वयं के लिये एवं अन्य के लिये 20 हजार रू0 रिश्वत की मांग करना और पट्टा शुल्क के 12 हजार रूपये जमा करवाने के लिये अलग से देने के लिये कहना सत्यापित हुआ।

दिनांक 21.02.2022 को कार्यवाही हेतु मुख्य अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम, अलवर को गोपनीय कार्यवाही हेतु दो राजकीय कर्मचारी बतौर स्वतन्त्र गवाह उपलब्ध करवाने हेतु पत्र जारी किया जाने पर वहाँ से श्री धर्मवीर, तकनिकी सहायक प्रथम एवं श्री संजय कुमार शर्मा, वाणिज्यिक सहायक द्वितीय, कार्यालय सहायक अभियन्ता–ए–4, (पवस), जयपुर डिस्कॉम, अलवर उपस्थित आये।

दिनांक 21.02.2022 को समय 10.20 ए0एम0 पर अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी श्री रूपेन्द्र कुमार मेहरा के उपस्थित आने पर परिवादी श्री रूपेन्द्र कुमार मेहरा एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री धर्मवीर, तकनिकी सहायक प्रथम एवं श्री संजय कुमार शर्मा, वाणिज्यिक सहायक द्वितीय, कार्यालय सहायक अभियन्ता–ए–4, (पवस), जयपुर डिस्कॉम, अलवर का आपसी परिचय करवाया गया तथा उन दोनों को परिवादी द्वारा दिनांक 16.02.2022 को ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति प्राप्त की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री रूपेन्द्र कुमार एवं उक्त दोनो गवाहान की मौजूदगी मे दिनांक 16.02.2022 एवं 17.02.2022 को करवाई गई रिश्वत की माँग के गोपनीय सत्यापन की रिकॉर्ड वार्तालापो की प्रक्रियानुसार फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट एवं तीन सी.डी. तैयार करवाई जाकर उन्हे मार्क ''ए–1'', ''ए–2'', एवं ''ए–3'' चिन्हित किया गया। इनमे से मार्क ए–1 तथा ए–2 को पृथक पृथक प्लास्टिक के कवर में सुरक्षित रखवाकर उन्हे कपडे की थैली मे सील्ड चिट करवाकर वजह सबूत कब्जे ए.सी.बी. लिया गया तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं के एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB को उक्त कार्यवाही के दौरान उपयोग हेतु डिजिटल वाईस रिकार्डर में ही लगाकर सुरक्षित रखा गया।

तत्पश्चात समय 10.30 ए0एम0 पर परिवादी श्री रूपेन्द्र कुमार से आरोपीगण को बतौर रिश्वत मे दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी ने अपने पास से 2000–2000 रूपये के 07 नोट एवं 500–500 रूपये के 36 नोट कुल 32 हजार रूपये निकाल कर पेश किये और बताया कि इनमे से 12 हजार रूपये तो मुझे अपने पट्टा की फीस के नगर विकास न्यास अलवर मे जमा करवाने हेतु श्री नरेन्द्र कुमार को देने है तथा राशि 20,000 (बीस हजार रूपये) नरेन्द्र कुमार को उनके द्वारा मांगी गई रिश्वत के देने हेतु बताया। इस पर परिवादी द्वारा पेश किये गये रिश्वत राशि के बीस हजार रूपये के नोटों का विवरण फर्द सुपुर्दगी नोट में अंकित करवाया जाकर उक्त रिश्वत राशि के 20,000 रूपये के नोटो पर श्रीमती सुनिता महिला कानि. 201 से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया। परिवादी श्री रूपेन्द्र कुमार के शरीर पर पहने हुए कपडो की जामा तलाशी गवाह श्री संजय कुमार से लिवाई गई तो उसके पहने हुए कपडो मे से पेन्ट की बांयी जेब मे एक मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तीजनक वस्तु/राशि या दस्तावेजात नही पाये गये। परिवादी का मोबाईल फोन उसके पास ही पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब मे रखवाया गया। तत्पश्चात उपरोक्त फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे उक्त 20 हजार रूपये की राशि के नोटो को श्रीमती सुनिता महिला कानि. 201 से परिवादी श्री रूपेन्द्र कुमार के शरीर पर पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब मे सुरक्षित रखवाये गये। परिवादी एवं गवाहान को आवश्यक हिदायत दी गई। परिवादी एवं गवाहों के समक्ष सोडियम कार्बोनेट पाऊडर व फिनॉफ्थलीन पाऊडर की रासायनिक प्रक्रिया प्रदर्शित कर उसकी उपयोगिता एवं महत्त्व के बारे मे समझाईस की गई। तत्पश्चात मांग सत्यापन की रिकॉर्ड वार्तालाप मे आये तथ्यों एवं परिवादी श्री रूपेन्द्र कुमार द्वारा बताये अनुसार आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार ने परिवादी श्री रूपेन्द्र कुमार को 12,000 रूपये पट्टे की फीस के नगर विकास न्यास अलवर मे जमा करवाने हेतु उक्त रिश्वत राशि के अतिरिक्त देने हेतु कहा है। इसलिये परिवादी द्वारा प्रस्तुत की

गई राशि मे से 2000 के छः नोट कुल राशि 12,000 रूपये जो पट्टे की फीस के नगर विकास न्यास अलवर मे जमा करवाने हेतु देने है, उन नोटो का विवरण फर्द सुपुदगी नोट में अंकित करवाया जाकर उक्त नोटो के नम्बरो का पुनः मिलान करने पर सही होना स्वीकार कर उक्त 2000–2000 रूपये के 06 नोट कुल राशि 12,000 रूपये बिना फिनॉफ्थलीन पाऊडर लगाये ही परिवादी को अलग से सुपुर्द कर उसकी पहनी हुई बुशर्ट की ऊपरी जेब मे रखवाये गये। जिसकी पृथक से फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनॉफ्थलीन पाऊडर एवं सोडियम कार्बोनेट तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

तत्पश्चात दिनांक 21.02.2022 को समय 12.55 पी0एम0 पर ब्यूरो कार्यालय मे से परिवादी श्री रूपेन्द्र कुमार मेहरा के मोबाईल फोन से आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार के मोबाईल पर उसकी लॉकेशन की जानकारी करने हेतु वार्तालाप करवाई गई। उक्त दोनो के मध्य हुई वार्तालाप मे आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार का परिवादी के पास हरीश हॉस्पीटल अलवर पर आने की पुष्ठि हुई। उक्त वार्तालाप को रिकॉर्ड करवाया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो गवाहान, ब्यूरो स्टाफ मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर इत्यादि आवश्यक सामग्री सहित समय 12.58 पी0एम0 पर दो प्राईवेट वाहनों से एवं परिवादी श्री रूपेन्द्र कुमार मेहरा तथा श्री महेश कुमार कानि0 को आवश्यक हिदायत देकर उन्हे परिवादी की मोटर साईकिल से हमराह लेकर एसीबी कार्यालय अलवर से रवाना हुआ तथा श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 को कार्यालय में ही छोडा गया। समय 01.05 पी0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के अलवर शहर स्थित हरीश हॉस्पीटल के पास पहुंचा। जहां पर परिवादी श्री रूपेन्द्र कुमार मेहरा को संदिग्ध आरोपी नरेन्द्र कुमार के आने का इन्तजार करने एवं उसके आने पर मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत कराने की हिदायत देकर हरीश हॉस्पीटल अलवर के पास खडा किया एवं मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के परिवादी पर निगरानी रखते हुये हरीश हॉस्पीटल के आस–पास ही खडे होकर परिवादी के निर्धारित ईशारे की इन्तजार करने लगे।

समय करीब 01.20 पी0एम0 पर एक व्यक्ति मोटर साईकिल से परिवादी श्री रूपेन्द्र कुमार मेहरा के पास आया और परिवादी को अपने साथ लेकर दोनों पैदल–पैदल ही हरीश हास्पीटल के पीछे गली गये और वहां पर खडे होकर दोनों आपस में वार्तालाप करने गये। समय 01.30 पी0एम0 पर परिवादी रूपेन्द्र कुमार ने हरीश हॉस्पीटल अलवर के पीछे स्थित गली मे से अपने सिर से कैप को उठाकर निर्धारित ईशारा किया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय उपरोक्त दोनो गवाहान एवं ब्यूरो स्टाफ को अपने हमराह लेकर परिवादी के पास उक्त गली मे पहुंचा तो वहाँ पर परिवादी श्री रूपेन्द्र कुमार एक व्यक्ति से बातचीत करता हुआ मिला। जहाँ पर परिवादी से ब्यूरो का राजकीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर प्राप्त कर उसे बंद करके अपने कब्जे लिया तब परिवादी श्री रूपेन्द्र कुमार ने अपने पास खडे व्यक्ति की ओर ईशारा करके उसको श्री नरेन्द्र कुमार जाटव, कम्प्यूटर ऑपरेटर, नियमन शाखा, नगर विकास न्यास अलवर होना बताते हुए यह बताया कि नरेन्द्र कुमार जाटव मेरे पास यहाँ पर आया और इसने मेरे से हमारा पट्टा जारी करवाने के लिये मांगी गई राशि देने के लिये कहा तो मैने पहले तो इनको पाऊडर युक्त 20 हजार रूपये अपने पास से निकाल कर दिये जिन्हे नरेन्द्र कुमार ने अपने दाहिने हाथ से लेकर उन नोटो को अपने दोनो हाथो से गिनकर अपनी पहनी हुई जैकेट की बांयी साईड की जेब मे अपने हाथ से रख लिये तथा इसके बाद मैने इसके बतायेनुसार हमारे पट्टा की फीस के नगर विकास न्यास मे जमा करवाने हेतु 12 हजार रूपये अलग से और दिये तो उक्त नोटो को भी श्री नरेन्द्र कुमार जाटव ने मेरे से अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर अपने दोनो हाथों से नोटो को गिनकर अपनी पहनी हुई जैकेट की दाहिनी जेब मे रख लिये। जो अभी इनके पास जैकेट की दोनो जेबो मे अलग अलग रखे हुये है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी के पास ही खडे व्यक्ति श्री नरेन्द्र कुमार जाटव को अपना एवं हमराहियान का परिचय देते हुए उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम नरेन्द्र कुमार जाटव पुत्र श्री खुबीराम जाटव, उम्र 35 साल निवासी मकान नं. 105, स्कीम नं. 10 बी, अलवर हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (निंविदाकर्मी),संस्थापन शाखा,नगर विकास न्यास अलवर जरिये चौकस पूर्व सैनिक सिक्योरिटी सर्विस,अभिनव सहकारी सोसायटी लिमिटेड,विवेकानन्द नगर,सैक्टर नं. 02,भगोरिया जनरल स्टोर अलवर होना बताया। तत्पश्चात श्री नरेन्द्र कुमार जाटव से उसके द्वारा परिवादी श्री रूपेन्द्र कुमार से दिनांक 16.02.2022 एवं 17.2.2022 को मांगी गई रिश्वत राशि एवं उक्त मांग के क्रम मे आज दिनांक 21.02.2022 को परिवादी श्री रूपेन्द्र सिंह से प्राप्त की गई 20 हजार रूपये की रिश्वत राशि एवं 12 हजार रूपये पट्टा शुल्क की प्राप्त की गई राशि के बारे मे पूछा गया तो श्री नरेन्द्र कुमार ने बताया कि मैने दिनांक 16.02.2022 को श्री मुकेश कुमार चौधरी कनि. लिपिक नियमन शाखा, नगर विकास न्यास अलवर के बताये अनुसार इस रूपेन्द्र सिंह के पास अपने मोबाईल नम्बर से कॉल किया था, परन्तु इसने मेरा कॉल नही उठाया और कुछ समय बाद इस रूपेन्द्र ने मुझे वापस कॉल करके अपने पट्टे के बारे मे मेरे से बातचीत की थी। तब मैने इसे 11–12 हजार रूपये के करीब तो पट्टे की फीस के नगर विकास न्यास अलवर मे जमा कराने के लिये और करीब 15–20 हजार रूपये और देने हेतु कहा था और यह भी कहा था कि आप मेरे से कल दिनांक 17.02.2022 को इस बारे मे दूबारा बात कर लेना मै और क्लीयर करके आपको बता दूंगा। मैने मेरे लिये इस रूपेन्द्र से कोई रिश्वत राशि की मांग नही की थी। इस पर मैने दिनांक 17.2.2022 को श्री रूपेन्द्र के मोबाईल नं. 8094223818 पर मेरे मोबाईल नं. 9214944964 से कॉल की परन्तु उसने मेरी कॉल अटैन्ड नही की। उसके बाद दिनांक 17.2.2022 को

रूपेन्द्र कुमार ने मेरे मोबाईल पर कॉल करके मेरे से अपने पट्टे के बारे मे बातचीत की तब मैने मुकेश कुमार चौधरी बाबू द्वारा बताये अनुसार उसके पट्टे हेतु नगर विकास न्यास अलवर मे जमा होने वाली 12 हजार रूपये एवं उसके खर्चे–पानी के अलग से 20 हजार रूपये देने हेतु कहा था तथा यह राशि शनिवार या रविवार को लाकर देने के लिये कहा था। आज इस रूपेन्द्र ने मुझे मोबाईल कॉल कर के कहा था कि मेरा एक्सीडेन्ट हो गया है और मै अभी हरीश हॉस्पीटल मे इलाज करवा रहा हूँ और आप मेरे पास यहाँ पर आकर हमारे पट्टे की फीस के पैसे ले जाओं। इसलिये मै इसके पास हरीश हॉस्पीटल अलवर पर आया और इससे मिला तो इसने मुझे 20 हजार रूपये तो पट्टे के खर्चे पानी के और 12 हजार रूपये इनके पट्टे की नगर विकास न्यास अलवर मे फीस के जमा कराने के लिये दिये जिनको मैने अपने हाथो मे लेकर नोटो को गिनकर अलग–अलग अपनी पहनी हुई जैकेट की दाहिनी जेब में 12000 रूपये को एवं बांयी जेब मे 20 हजार रूपये को रख लिये। मैने रूपेन्द्र से मेरे लिये कोई रिश्वत के रूपये नही लिये है। इस पर नरेन्द्र कुमार से पूछा गया कि जब आपने अपने लिये कोई रिश्वत राशि के रूपये नही लिये तो यह 20 हजार रूपये पट्टे के खर्चे पानी के किसके लिये और क्यों लिये है ? इस पर नरेन्द्र कुमार ने बताया कि मै यह सारे पैसे श्री कमलेश कुमार सैनी फोर्थ क्लास को देता जो इन पैसों मे से इसके पट्टे की फीस नगर विकास न्यास मे जमा करवाता और बाकि के पैसे वह मुकेश कुमार कनि. लिपिक नियमन शाखा को देता और वह इसमे से कुछ राशि मुझे भी बाद मे देता। मुकेश कुमार कनि. लिपिक, कमलेश सैनी से ही पैसों का लेन देन करता है मेरे से नही और पट्टे की फाईल भी कमलेश कुमार के पास ही है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री नरेन्द्र कुमार को कहा कि यदि आप यह बात सही कह रहे हो तो कमलेश सैनी से इस बारे मे मोबाईल पर बात करो। इस पर श्री नरेन्द्र कुमार ने कहा कि मै अभी आपके सामने कमलेश सैनी से मोबाईल पर इस बारे मे बातचीत करके उसे यही पर रिश्वत राशि लेने हेतु बुला सकता हूँ। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने समय 2.02 पी.एम. पर आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार जाटव के बताये अनुसार उसकी उसके मोबाईल नं. 9214944964 से कमलेश कुमार सैनी के मोबाईल नं. 9057527485 पर इस संबंध मे वार्ता करवाई गई तो श्री नरेन्द्र कुमार ने श्री कमलेश कुमार को कहा कि मेरे पास शारदा देवी के पट्टे के पैसे आ गये है और आप उस पट्टे को करवा दो। मै अभी हरीश हॉस्पीटल के पीछे हूँ आप यहां पर आ जाओ और ये पैसे ले जाओ। इस पर श्री कमलेश सैनी ने कहां कि मै अभी आता हूँ। उक्त मोबाईल वार्ता को आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन करवाकर ब्यूरो के राजकीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात समय 2.12 पी.एम. पर एक व्यक्ति मोटर साईकिल से आता हुआ दिखाई दिया जिसको देखकर नरेन्द्र कुमार ने बताया कि यह जो मोटर साईकिल से आ रहा है, वही कमलेश कुमार सैनी है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरो स्टाफ के अपना छुपाव करते हुए उक्त गली मे श्री नरेन्द्र कुमार से कुछ दूरी पर इधर उधर खडे हो गये तथा आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार जाटव एवं परिवादी श्री रूपेन्द्र कुमार को वही पर खडा रहने हेतु निर्देशित किया। उक्त मोटर साईकिल से आया हुआ व्यक्ति नरेन्द्र कुमार एवं परिवादी श्री रूपेन्द्र कुमार के पास आकर रूका और उन दोनो से अपनी मोटर साईकिल पर बैठा हुआ ही बातचीत करने लग गया। नरेन्द्र कुमार ने अपनी जैकेट की दोनो जेबो से अलग अलग राशि निकाल कर कमलेश कुमार सैनी को दी तो कमलेश कुमार सैनी ने उक्त राशि को नरेन्द्र कुमार से बारी बारी से अपने हाथो से प्राप्त करके उक्त राशि को अपनी पहनी हुई जैकेट की दोनो जेबो मे अलग अलग रख लिया और परिवादी रूपेन्द्र कुमार एवं नरेन्द्र कुमार को वही छोडकर वहाँ से अपनी मोटर साईकिल से वापस जाने लगा तो मन् पुलिस निरीक्षक ने ट्रेप पार्टी के सदस्यों सहित उक्त गली मे ही श्री कमलेश कुमार सैनी को उसकी मोटर साईकिल सहित रोक लिया। तब परिवादी ने अपने पास से राजकीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किया जिसे बंद करके अपने कब्जे लिया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त कमलेश कुमार सैनी को अपना एवं हमराहियान का परिचय देकर उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम कमलेश सैनी पुत्र श्री डालचन्द सैनी, उम्र 33 साल निवासी सी–56 शक्तिनगर, साहब जोहडा अलवर, पुलिस थाना– शिवाजी पार्क, अलवर हाल सिक्योरिटी गार्ड (निविदा कर्मी), संस्थापन शाखा, नगर विकास न्यास अलवर जरिये इण्डियन एक्ससे वैलफेयर सोसायटी लिमिटेड, सिरसी रोड, खातीपुरा जयपुर होना बताया। इस पर उक्त कमलेश कुमार सैनी को श्री नरेन्द्र कुमार से प्राप्त की गई रिश्वत राशि के बारे मे पूछा गया तो उसने बताया कि नरेन्द्र कुमार ने जो रिश्वत राशि ली थी, उसमे से मेरे हिस्से के तीन हजार रूपये ही लेने थे, परन्तु इसने मुझे अलग अलग पूरे पैसे ही दे दिये, जिनको मैने अपने हाथो से लेकर अलग अलग ही अपनी पहनी हुई जैकेट की दोनो जेबो मे रख लिये है और ये पैसे कितने है, मुझे इस बारे मे जानकारी नही है। नरेन्द्र कुमार मुझे पैसे देता रहता है इसलिये मैने ये पैसे नरेन्द्र कुमार से लिये है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने कमलेश कुमार सैनी से पूछा कि नरेन्द्र कुमार यह कह रहा है कि ये जो पैसे मैने रूपेन्द्र से उसके पट्टे के लिये है इन पैसो को कमलेश कुमार सैनी ही श्री मुकेश कुमार चौधरी कनि. लिपिक, नियमन शाखा को देगा और मुकेश कुमार, कमलेश कुमार सैनी से ही यह पैसे लेगा। इस पर श्री कमलेश सैनी ने बताया कि साहब नरेन्द्र कुमार गलत कह रहा है। मुकेश कुमार, कनि. लिपिक से पैसे की लेन देन यही (नरेन्द्र कुमार) करता है। दिनांक 16.02.2022 को मै, नरेन्द्र कुमार के साथ मुकेश कुमार चौधरी कनि. लिपिक नियमन शाखा के पास गया था। तब नरेन्द्र कुमार ने मुकेश कुमार

कनि. लिपिक को शारदा देवी के पट्टे की फाईल तैयार कर मुझे देने के लिये कहा था। नरेन्द्र कुमार के कहने पर मुकेश कनि. लिपिक ने उक्त पट्टे की फाईल मे मेरे सामने चैक लिस्ट तैयार की थी और स्वीकृति हेतु उप सचिव नियमन के पास भिजवाने के लिये कहा था, परन्तु उसने अभी तक मुझे वह फाईल नही दी है। मेरी मुकेश कनि. लिपिक से पैसे के बारे मे कोई बातचीत नही हुई और ना ही वह मेरे से पैसे लेता है। नरेन्द्र कुमार ही मुकेश कुमार कनि. लिपिक से पैसे की बातचीत करता है और इस पट्टे के संबंध मे भी पैसे की बातचीत नरेन्द्र कुमार ने ही की है तथा मुकेश कुमार चौधरी कनि. लिपिक नरेन्द्र कुमार से ही पैसे लेगा। मुझे तो नरेन्द्र कुमार मेरे हिस्से के तीन हजार रूपये ही देता जिसके बदले मे मै संबंधित बाबू से फाईल लेकर उसको जल्दी अधिकारी के पास पहुंचा देता। बाकि के पैसे बाद मे नरेन्द्र कुमार मेरे से वापस ले लेता। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने नरेन्द्र कुमार से कमलेश सैनी द्वारा बताये गये तथ्यों के बारे मे पूछा तो नरेन्द्र कुमार कुछ नही बोला और चुपचाप रहा। इस पर नरेन्द्र कुमार से पुनः पूछा गया तो नरेन्द्र कुमार ने बताया कि साहब मुकेश कुमार चौधरी से रूपेन्द्र के पट्टे के संबंध मे मेरी ही बातचीत हुई थी तब मुकेश कुमार कनि. लिपिक ने मेरे को रूपेन्द्र से 12 हजार रूपये तो पट्टा फीस के नगर विकास न्यास अलवर मे जमा करवाने हेतु एवं 5000 रूपये अपने स्वंय के लिये रिश्वत के लेने के लिये कहा था। मै कमलेश कुमार से उक्त पैसे बाद मे लेकर इनमे से 05 हजार रूपये मुकेश कुमार कनि. लिपिक को देता और 12 हजार रूपये पट्टे की फीस के नगर विकास न्यास अलवर मे जमा करवाता तथा बाकि के 15 हजार रूपये को मै व कमलेश सैनी बराबर बराबर बांट लेते। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने कमलेश कुमार से पूछा कि आपने तो उक्त राशि मे से तीन हजार रूपये ही अपने हिस्से के लेने बाबत बताया है जबकि नरेन्द्र कुमार आपके समक्ष ही बाकि की 15 हजार रूपये की राशि को दोनो मे बराबर बराबर बांटने के लिये कह रहा है। इस पर कमलेश कुमार चुप हो गया और कुछ नही बोला।

तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री नरेन्द्र कुमार को श्री मुकेश कुमार चौधरी कनि. लिपिक नियमन शाखा से परिवादी रूपेन्द्र की माताजी श्रीमती शारदा देवी के पट्टे के संबंध मे मोबाईल पर वार्ता कर परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त होने एवं उक्त रिश्वत राशि मे से मुकेश कनि. लिपिक के हिस्से की राशि 05 हजार रूपये देने के लिये कहा गया तो श्री नरेन्द्र कुमार ने बताया कि साहब मुकेश कुमार चौधरी कनि. लिपिक रिश्वत राशि के संबंध मे कभी भी मोबाईल पर वार्ता नही करते है और इस प्रकार की मोबाईल पर वार्ता करने के लिये वो मुझे पहले से ही मना किये हुए है। इसलिये वो मोबाईल पर वार्ता नही करेंगे तथा उनके हिस्से के 05 हजार रूपये रिश्वत के मै अभी उनके कार्यालय मे जाकर दे सकता हूँ। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री कमलेश कुमार की तलाशी गवाह श्री धर्मवीर से लिवाई गई तो उसकी पहनी हुई जैकेट की बांयी जेब मे 2000 रूपये के नोट मे 500–500 रूपये के नोट सीमटे हुए मिले। जिनको गवाह श्री धर्मवीर से बाहर निकलवाकर उनको गिनवाया गया तो उसमे कुल 20 हजार रूपये होना बताया उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान दोनो गवाहान से पूर्व की तैयारशुदा फर्द मे अंकित नोटो के नम्बरो से करवाया गया तो दोनो के नम्बर समान होना बताया। इसी प्रकार श्री कमलेश सैनी की जैकेट की दाहिनी जेब की तलाशी गवाह श्री संजय कुमार से लिवाई गई तो उसमे से गवाह ने 2000–2000 रूपये के 06 नोट कुल 12 हजार रूपये निकाले, जो उक्त राशि आरोपीगणों ने परिवादी के पट्टे की फीस के लिये नगर विकास न्यास मे जमा करवाने हेतु प्राप्त की गई राशि होना बताया। उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान दोनो गवाहान से पूर्व की तैयारशुदा फर्द मे अंकित नोटो के नम्बरो से करवाया गया तो दोनो के नम्बर समान होना बताया। इस पर उक्त बरामदशुदा 20 हजार रूपये की राशि मे से 500–500 रूपये के दस नोट कुल 5000 रूपये अलग निकाल कर श्री नरेन्द्र कुमार को आरोपी श्री मुकेश कुमार चौधरी कनि. लिपिक को देने हेतु गवाह श्री धर्मवीर से सुपुर्द करवाये गये तथा बाकि 15 हजार रूपये एवं 12 हजार रूपये की राशि को गवाह श्री धर्मवीर के पास सुरक्षित रखवाई गई। तत्पश्चात श्री कमलेश कुमार सैनी को मय ब्यूरो टीम सहित अपने हमराह लेकर हरीश हॉस्पीटल के पीछे की गली से रवाना होकर समय 3.40 पी.एम. पर भगत सिंह सर्किल पर स्थित नगर विकास न्यास अलवर के पास पहुंचा साथ ही श्री महेश कुमार कानि. एवं श्री रामजीत सिंह कानि. आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार को उसकी मोटर साईकिल से हमराह लेकर मन् पुलिस निरीक्षक के पास भगतसिंह सर्किल पर नगर विकास न्यास कार्यालय के सामने आये। जहाँ पर वाहनो को एक साईड मे खडा करवाया गया तथा हरीश कुमार कानि. आरोपी कमलेश सैनी की मोटर साईकिल सहित वहाँ पर उपस्थित आया। तत्पश्चात समय 3.42 पी.एम. पर श्री महेश कुमार कानि. से दूसरा खाली राजकीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालु करवाकर उक्त वॉइस रिकॉर्डर आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार को सुपुर्द करवाकर उसे श्री महेश कुमार कानि. एवं श्री रामजीत कानि. सहित नगर विकास न्यास अलवर की नई बिल्डिंग मे आरोपी श्री मुकेश कुमार चौधरी कनि. लिपिक नियमन शाखा के पास जाने हेतु रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के नगर विकास न्यास अलवर कार्यालय के बाहर वाहन मे बैठकर ही ईशारे की इन्तजार करने लगे। समय 3.51 पी.एम. पर श्री महेश कुमार कानि. ने मन् पुलिस निरीक्षक को आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा श्री मुकेश कुमार चौधरी, कनि. लिपिक को 05 हजार रूपये की रिश्वत राशि देने बाबत अवगत करवाया । इस पर मन् पुलिस निरीक्षक आरोपी श्री कमलेश कुमार सैनी को हरीश कुमार कानि., श्री लल्लु राम कानि. की निगरानी मे छोडकर दोनो गवाहान, परिवादी श्री

रूपेन्द्र एवं शेष ब्यूरो स्टाफ को हमराह लेकर नगर विकास न्यास अलवर की नई बिल्डिंग मे प्रवेश किया तो नीचे के हॉल मे आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार एक व्यक्ति (श्री मुकेश कुमार चौधरी कनि. लिपिक) के साथ खडा मिला। मन पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार से राजकीय डिजीटल वॉइस रिकार्डर को प्राप्त करके उसे बंद कर अपने कब्जे लिया तथा आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार ने अपने पास खडे व्यक्ति को श्री मुकेश कुमार चौधरी कनि. लिपिक होना बताया। साथ ही यह भी बताया कि मेरे से मुकेश कुमार चौधरी ने अपनी मांग अनुसार तय की गई 5 हजार रूपये की रिश्वत राशि अपने दाहिने हाथ से लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब मे रख ली है, जो इनके पास पेन्ट की दाहिनी जेब मे ही रखी हुई है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना एवं हमाराहियान का परिचय देकर उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम मुकेश कुमार चौधरी पुत्र श्री हरदयाल चौधरी, उम्र 46 साल निवासी–मेहन्दीबाग मौहल्ला, लाल डिग्गी चौराहे के पास जयपुर रोड अलवर, पुलिस थाना अरावली विहार, अलवर हाल कनिष्ठ लिपिक, नियमन शाखा, नगर विकास न्यास अलवर होना बताया। इस पर उक्त मुकेश कुमार चौधरी से मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री नरेन्द्र कुमार से प्राप्त की गई 05 हजार रूपये की रिश्वत राशि के बारे मे पूछा तो उसने बताया कि दिनांक 16.02.2022 को मेरे से श्री नरेन्द्र कुमार जो हमारे यू.आई.टी मे कम्प्युटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है वह मिला और मुझे शारदा देवी की पट्टे की पत्रावली जल्दी निकालने के लिये कहा था। इस पर मैने उसे कहा था कि मै रूटीन मे ही पत्रावली निकाल दूंगा। तब इसने मुझे कहा था कि मै आपको इस पत्रावली पर खर्चा पानी दिलवा दूंगा। इसी क्रम मे यह मेरे पास आया और मुझे अपने पास से कुछ रूपये निकाल कर दिये जिनको मैने अपने दाहिने हाथ से लेकर बिना गिने ही अपनी पेन्ट की दाहिनी जेब मे रख लिये है। जो अभी मेरी जेब मे ही है। कितने रूपये है इस बारे मे मुझे जानकारी नही है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो गवाहान एवं ब्यूरो स्टाफ के हमराह श्री मुकेश कुमार चौधरी कनि. लिपिक एवं श्री नरेन्द्र कुमार को हमराह लेकर नगर विकास न्यास अलवर की प्रथम तल पर स्थित नियमन शाखा मे लेकर आया तथा श्री हरीश कुमार कानि. को श्री कमलेश सैनी को हमराह जाब्ते सहित उक्त बिल्डिंग की नियमन शाखा मे लाने हेतु निर्देशित किया, जिस पर श्री हरीश कुमार कानि. आरोपी श्री कमलेश सैनी को अपने हमराह लेकर उक्त कार्यालय नियमन शाखा नगर विकास न्यास अलवर मे लेकर आया। सभी को उक्त कार्यालय की नियमन शाखा मे बैठाया गया।

तत्पश्चात परिवादी श्री रूपेन्द्र कुमार से आरोपीगणों के उक्त कथनो के बारे मे पूछा गया तो परिवादी श्री रूपेन्द्र ने बताया कि मैने सितम्बर 2020 मे अपनी माताजी श्रीमती शारदा देवी के नाम से क्रयशुदा प्लाट का पट्टा लेने हेतु नगर विकास न्यास अलवर मे आवेदन किया था। हमारा उक्त पट्टा जारी नही होने पर मै दिनांक 10.01.2022 को श्री मुकेश कुमार चौधरी कनि. लिपिक नियमन शाखा से मिला तो इसने मुझे कहा कि ऐसे चक्कर लगाने से कुछ नही होगा, यू.आई.टी. मे पट्टे ऐसे ही जारी नही होते है। आपको पट्टा लेना है तो कुछ खर्चा पानी करना पडेगा। जिस पर मैने खर्चा पानी के बारे मे श्री मुकेश कुमार चौधरी से पूछा तो मुकेश कुमार चौधरी व नरेन्द्र कुमार कम्प्यूटर ऑपरेटर ने मेरे मोबाईल नम्बर लिये और कहा कि आप जाओ चक्कर लगाने की जरूरत नही है। आपके पास फोन आ जायेगा। इसके बाद दिनांक 16.02.2022 को मेरे मोबाईल पर श्री नरेन्द्र कुमार कम्प्यूटर ऑपरेटर का मिस्डकॉल आया जिस पर मैने नरेन्द्र कुमार से अपने मोबाईल नं. 8094223818 से उसके मोबाईल नं. 9214944964 पर वार्ता की तो नरेन्द्र कुमार ने मेरे से स्वयं के लिये व मुकेश चौधरी के लिये 15 हजार रूपये रिश्वत की मांग की और 18 हजार रूपये हमारे पट्टे की फीस जमा करवाने के लिये मुझे कहा और मेरे से कहा कि बाद मे फोन पे ओर बात कर लेना मै क्लीयर बता दूंगा। इस पर दिनांक 16.02.2022 को ही आपके पास आया और इस बाबत शिकायत पेश कर कार्यवाही करवाने चाही जिस पर आप द्वारा मेरे से दिनांक 16.02.2022 को श्री नरेन्द्र कुमार से जरिये मोबाईल रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया तब मैने नरेन्द्र कुमार से बात की तो इसने मुझे कहा कि 11–12 हजार रूपये तो आपके पट्टे की फीस के जमा होगे तथा करीब 15–20 हजार रूपये खर्चे पानी के देने हेतु कहा था और यह भी कहा था कि आप मेरे से कल दिनांक 17.02.2022 को इस बारे मे दूबारा बात कर लेना मै और क्लीयर करके आपको बता दूंगा। इस पर इन्होने दिनांक 17.02.2022 को मेरे फोन पर कॉल की परन्तु मेरे द्वारा इनकी कॉल अटैन्ड नही और आपके पास आकर मैने इस बारे मे बताया तब आपने मेरे से नरेन्द्र कुमार के मोबाईल पर दिनांक 17.2.2022 को कॉल करवाकर पट्टे के बारे मे बातचीत करवाई तब नरेन्द्र कुमार ने मुझे कहा कि पट्टे हेतु नगर विकास न्यास अलवर मे 12 हजार रूपये जमा करवाने वाली राशि एवं उसके खर्चे–पानी के अलग से 20 हजार रूपये रिश्वत के देने के लिये कहा था और उक्त 20 हजार रूपये की राशि को मुझे फोन–पे करने हेतु कहा था। इस पर मैने नरेन्द्र को नगद राशि ही देने के लिये कहा और इसमे से कुछ कम करने के लिये एवं मुकेश चौधरी से मेरी भी बात करवाने के लिये कहा तो नरेन्द्र ने मुझे मना कर दिया और कहा कि ऐसे कोई बात नही करता है। इसी क्रम मे मै आज आपके पास आया और मैने नरेन्द्र कुमार द्वारा बतायेनुसार 12 हजार रूपये तो हमारे पट्टे की फीस के नगर विकास न्यास मे जमा होने वाली राशि जमा करवाने के लिये तथा 20 हजार रूपये नरेन्द्र कुमार एवं मुकेश कुमार चौधरी को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि के आपको पेश किये थे। जिस पर आपने मुझे 20 हजार रूपये के नोटो पर पाऊडर लगा कर श्री नरेन्द्र कुमार को बतौर रिश्वत देने हेतु दिये तथा 12

हजार रूपये बिना पाऊडर लगे फीस के जमा करवाने हेतु नरेन्द्र को देने के लिये दिये थे। उसके बाद मैने अपने मोबाईल से नरेन्द्र कुमार से बात करके उसे रिश्वत राशि एवं पट्टे की फीस की राशि लेने हेतु हरीश हॉस्पीटल पर बुलाया। जिस पर नरेन्द्र कुमार मेरे पास हरीश हॉस्पीटल के पास आया तब मैने इसे 12 हजार रूपये तो पट्टे की फीस के नगर विकास न्यास अलवर मे जमा करवाने हेतु एवं 20 हजार रूपये इनके द्वारा मांग कर तय की गई रिश्वत के दिये तो इन्होने मेरे से उक्त नोटो को अलग अलग लेकर उन्हे गिनकर अपनी जैकेट की दोनो जेबो मे अलग अलग रख लिये थे।

तत्पश्चात नगर विकास न्यास अलवर के कार्यालय मे रखे हुए कैम्पर से एक साफ बोतल मे साफ पानी मॅगवाया। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स मे रखे हुए काँच के दो साफ गिलासों को निकलवाकर उन्हे साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाया। दोनो गिलासो मे साफ पानी भरवाकर उनमें सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार करवाया जाकर सभी सम्बन्धितों को दिखाया गया, जिसे सभी ने देखकर उक्त दोनों गिलासों के घोल का रंग साफ होना स्वीकार किया। इसके बाद आरोपी श्री मुकेश कुमार चौधरी, कनि.लिपिक नियमन शाखा नगर विकास न्यास अलवर के दोनो हाथो को बारी बारी से उक्त गिलासो के घोल मे अलग अलग धुलवाया गया तो उसके दाहिने हाथ की अंगुलियों के धोवन का रंग हल्का गुलाबी एवं बांये हाथ की अंगुलियो के धोवन का रंग गैदमैला हो गया। जिसे सम्बन्धितों को दिखाया गया तो उन्होने धोवन का रंग उपरोक्तानुसार होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को कॉच की दो–दो साफ शीशीयों में आधा–आधा डालकर सील मुहर चिट चस्पाकर उन पर दोनों गवाहान व परिवादी, आरोपीगण के हस्ताक्षर कराकर धोवन की शीशीयों पर क्रमशः मार्क MKR-1, MKR-2 एवं मार्क MKL-1, MKL-2 अंकित कर कब्जे ए.सी.बी लिया गया।

तत्पश्चात श्री मुकेश कुमार चौधरी, कनि.लिपिक नियमन शाखा नगर विकास न्यास अलवर से पुनः रिश्वत राशि के बारे मे पूछा गया तो उसने अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब मे होना बताया। इस पर आरोपी की उक्त जेब की तलाशी गवाह श्री संजय कुमार से लिवाई गई तो आरोपी श्री मुकेश कुमार चौधरी, कनि..लिपिक नियमन शाखा नगर विकास न्यास अलवर की दाहिनी जेब मे 500 – 500 रूपये के कुछ नोट होना बताया । उक्त नोटो को गवाह श्री संजय कुमार से बाहर निकलवाकर गिनने एवं नोटो के नम्बरो का मिलान कर बताने हेतु कहा तो गवाह श्री संजय कुमार ने आरोपी श्री मुकेश कुमार चौधरी, कनि .लिपिक नियमन शाखा नगर विकास न्यास अलवर की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब मे से रूपयो को निकाल कर उनमे 500–500 रूपये के दस नोट कुल 05 हजार रूपये होना बताया तथा उक्त नोटो के नमबरो का पूर्व की तैयार की गई फर्द मे अंकित नोटो के नम्बरो से मिलान करके उनका मिलान समान होना बताया। उक्त नोटो के नम्बरों का विवरण फर्द बरामदगी में अंकित करवाया जाकर उक्त बरामद शुदा 5000 रूपये के नोटो के नम्बरो का उपरोक्त नम्बरो से पुनः मिलान करवाकर नोटो को एक सफेद कागज की चिट लगा कर उस कागज पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर बरामदशुदा राशि पांच हजार रूपये के नोटो को वजह सबूत कब्जे ए.सी.बी. लिया गया।

तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स से दो अन्य साफ कांच के गिलास को निकलवाकर उनको नगर विकास न्यास अलवर के कार्यालय के वाशरूम मे साफ पानी एवं साबून से धुलवाकर उसमे साफ पानी भरवाया। दोनो गिलासो में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार करवाया जाकर सभी सम्बन्धितों को दिखाया गया, तो सभी ने गिलासों के घोल का रंग साफ होना स्वीकार किया। इसके बाद आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार, कम्प्युटर ऑपरेटर के दोनो हाथो को बारी–बारी से अलग–अलग गिलासो के घोल मे डूबोकर धुलवाया गया तो उसके दोनो हाथों के धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे सम्बन्धितों को दिखाया गया तो उन्होने धोवन का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। दोनो गिलास के धोवन को कॉच की दो–दो साफ शीशीयों में आधा – आधा डालकर सील मुहर किया जाकर चिट चस्पाकर उन पर दोनों गवाहान व परिवादी, आरोपीगण के हस्ताक्षर कराकर धोवन की शीशीयों पर क्रमशः मार्क NKR-1, NKR-2 एवं मार्क NKL-1, NKL-2 अंकित कर कब्जे ए.सी.बी लिया गया।

तत्पश्चात दो साफ कांच के गिलास को नगर विकास न्यास अलवर के कार्यालय के वाशरूम मे साफ पानी एवं साबून से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाया गया। उसमे साफ पानी भरवाकर उसमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार करवाया जाकर सभी सम्बन्धितों को दिखाया गया, तो सभी ने गिलासों के घोल का रंग साफ होना स्वीकार किया। इसके बाद आरोपी श्री कमलेश कुमार सैनी के दोनो हाथो को बारी–बारी से अलग–अलग गिलासो के घोल मे डूबोकर धुलवाया गया तो उसके दोनो हाथों के धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे सम्बन्धितों को दिखाया गया तो उन्होने धोवन का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। दोनो गिलास के धोवन को कॉच की दो–दो साफ शीशीयों में आधा – आधा डालकर सील मुहर किया जाकर चिट चस्पाकर उन पर दोनों गवाहान व परिवादी, आरोपीगण के हस्ताक्षर कराकर धोवन की शीशीयों पर क्रमशः मार्क KSR-1, KSR-2 एवं मार्क KSL-1, KSL-2 अंकित कर कब्जे ए.सी.बी लिया गया।

तत्पश्चात गवाह श्री धर्मवीर के पास रखवाई गई 15 हजार रूपये की राशि को पेश करने हेतु कहा गया तो उसने अपने पास से एक 2000 रूपये का नोट एवं 26 नोट 500–500 रूपये के निकाल कर पेश किये। जिनका विवरण फर्द बरामदगी में अंकित किया जाकर उक्त बरामद शुदा 15000 रूपये के नोटो के नम्बरो का उपरोक्त नम्बरो से पुनः मिलान करवाकर नोटो को एक सफेद कागज की

चिट लगा कर उस कागज पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर बरामदशुदा राशि 15 हजार रूपये के नोटो को वजह सबूत कब्जे ए.सी.बी. लिया गया। ट्रेप बॉक्स से तीन गिलास निकाल कर उन्हे नगर विकास न्यास अलवर के कार्यालय के वाशरूम मे साफ पानी एवं साबून से अच्छी तरह धुलवाकर उनमे साफ पानी भरवाकर उनमे एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की डालकर घोल तैयार कर हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने तीनो गिलासो के घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् श्री मुकेश कुमार चौधरी के पहनने हेतु एक लोवर मॅगवाया गया। श्री मुकेश कुमार चौधरी द्वारा अपने शरीर पर पहनी हुई पेंट को उतारकर देन हेतु कहा गया तो उसने अपने पहनी हुई पेंट को उतारकर दिया तथा उसे मॅगवाया गया लोवर पहनाया गया। श्री मुकेश कुमार चौधरी से उतराई गई पेंट जिसकी दाहिनी जेब से रिश्वती राशि के 5000 रूपये बरामद हुए है। उक्त जेब को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के एक गिलास के घोल मे धुलवाया गया तो पेन्ट की दाहिनी जेब के धोवन का रंग गुलाबी हुआ। उक्त धोवन का रंग हाजरीन ने गुलाबी होना स्वीकार किया। इस पर उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कॉच की शीशियों मे आधा आधा भरवाकर उसे मार्क MKP-1, MKP-2 से चिन्हित कर उसकी चिंट पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे लिया गयां तथा उक्त पेंट की जेब को सुखाकर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेंट को एक कपडे की थैली मे रखकर सील चिट कर मार्क MKP से चिहिन्त कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे लिया गया।

तत्पश्चात् श्री नरेन्द्र कुमार के शरीर पर पहनी हुई जेकेट बरंग ब्ल्यू को उतराई गई तत्पश्चात् उसकी बाई जेब जिसमे से रिश्वत राशि बरामद हुई थी उक्त जेब को उलटवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर के दूसरे गिलास के घोल मे धुलवाया गया तो जेब के धोवन का रंग गुलाबी हुआ। उक्त धोवन का रंग हाजिरीन ने गुलाबी होना स्वीकार किया। इस पर उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कॉच की शीशियों मे आधा आधा भरवाकर उसे मार्क NKJ-1, NKJ-2 से चिहिन्त कर उसकी चिंट पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे लिया गयां तथा उक्त जेकेट की बाई जेब को सुखाकर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उक्त जेकेट बरंग ब्ल्यू को एक कपडे की थैली मे रखकर सील चिट कर मार्क NKJ से चिहिन्त कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे लिया गया।

तत्पश्चात् श्री कमलेश कुमार सैनी के शरीर पर पहनी हुई जेकेट बरंग सलेटी को उतराई गई तत्पश्चात् उसकी बाई जेब जिसमे से रिश्वत राशि बरामद हुई थी उक्त जेब को उलटवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर के तीसरे गिलास के घोल मे धुलवाया गया तो जेब के धोवन का रंग गुलाबी हुआ। उक्त धोवन का रंग हाजरीन ने गुलाबी होना स्वीकार किया। इस पर उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कॉच की शीशियों मे आधा आधा भरवाकर उसे मार्क KSJ-1, KSJ-2 से चिहिन्त कर उसकी चिंट पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे लिया गयां तथा उक्त जेकेट की बाई जेब को सुखाकर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उक्त जेकेट बरंग ब्ल्यू को एक कपडे की थैली मे रखकर सील चिट कर मार्क KSJ से चिहिन्त कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे लिया गया।

आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा दौराने ट्रैप कार्यवाही परिवादी से जो 12000/–रूपये पटटा शुल्क के जमा करवाने हेतु स्वयं द्वारा रिश्वत राशि के साथ प्राप्त किये थे जो आरोपी नरेन्द्र कुमार की जेकेट की दाहिनी जेब मे से बरामद हुई थी तथा मौके पर उक्त राशि गवाह श्री धर्मवीर के पास रखवाई गई थी। गवाह धर्मवीर को उक्त राशि पेश करने हेतु कहा गया तो उसने अपने पास से 2000 – 2000 रूपये के 06 नोट पेश किये जिनका विवरण फर्द बरामदगी में अंकित करवाया जाकर उक्त नोटो की फोटो कॉपी करवाकर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर फोटोकॉपी वजह सबूत कब्जे ली गई तथा उक्त राशि 12000 रूपये परिवादी को उसके पटटे की शुल्क हेतु नगर विकास न्यास अलवर मे जमा करवाने हेतु वापिस लौटाये गये। परिवादी श्री रूपेन्द्र एवं आरोपीगण श्री मुकेश चौधरी कनिष्ठ लिपिक, श्री नरेन्द्र कुमार कम्प्यूटर ऑपरेटर, एवं श्री कमलेश कुमार सैनी सिक्योरिटी गार्ड नगर विकास न्यास अलवर से अलग–अलग एवं एक साथ करके आपस मे कोई रूपयो का पुराना उधार का लेन देन बकाया होने या कोई आपसी रंजिश होने के बारे में पूछा गया तो उक्त सभी ने ना तो आपसी रंजिश होना या ना ही रूपयो का पुराना उधार का लेन देन बकाया होने बाबत बताया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की फर्द बरामदी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई पृथक से तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई।

तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही के दौरान जब्त/सील्डशुदा आर्टिकल्स, रिश्वती राशि एवं आरोपी श्री मुकेश कुमार चौधरी कनिष्ट सहायक, श्री नरेन्द्र कुमार जाटव, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं श्री कमलेश कुमार सैनी, सिक्योरिटी गार्ड की निगरानी हेतु श्री भौरे लाल हैड कानि0 33, श्री हरीश चन्द कानि0, श्री रामजीत कानि0, श्री लल्लूराम कानि0 को मामुर कर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री रूपेन्द्र कुमार मेहरा एवं ए0सी0बी0 स्टाफ सर्वश्री महेश कुमार कानि0 462, श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 288 के घटना स्थलों पर पहुंच कर उनका मौका निरीक्षण कर नक्शा मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया जाकर वापस नियमन शाखा, यूआईडी अलवर पहुंचा। जहाँ पर समय 10.30 पी0एम0 पर आरोपी श्री मुकेश कुमार चौधरी कनि.लिपिक नियमन शाखा नगर विकास न्यास अलवर के कब्जे से परिवादी श्री रूपेन्द्र कुमार की माताजी श्रीमति शारदा देवी की मूल पट्टे के आवेदन की पत्रावली

आरोपी श्री मुकेश कुमार के कब्जे से बरामद कर बाद अवलोकन श्री जितेन्द्र सिह नरूका प्रभारी अधिकारी नियमन को अग्रिम कार्यवाही करने हेतु सुपुर्द की गई तथा उक्त पत्रावली मे संधारित की गई कार्यालय टिप्पणी एवं संलग्न दस्तावेजो की सत्यप्रति प्राप्त कर जरिये फर्द कब्जे ली गई।

उक्त ट्रेप कार्यवाही के दौरान उजागर हुए तथ्यो एवं हालात से आरोपी श्री मुकेश कुमार चौधरी पुत्र श्री हरदयाल चौधरी, उम्र 46 साल निवासी – मेहन्दीबाग मौहल्ला, लाल डिग्गी चौराहे के पास जयपुर रोड अलवर, पुलिस थाना अरावली विहार अलवर हाल कनिष्ठ लिपिक, नियमन शाखा, नगर विकास न्यास अलवर के विरूद्व जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा0द0सं0 के तहत समय 10.50 पी0एम0 पर, आरोपी नरेन्द्र कुमार जाटव पुत्र श्री खुबीराम जाटव, उम्र 35 साल निवासी मकान नं. 105 स्कीम नं. 10 बी अलवर हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (निविदा कर्मी), संस्थापन शाखा, नगर विकास न्यास अलवर जरिये चौकस पूर्व सैनिक सिक्योरिटी सर्विस अभिनव सहकारी सोसायटी लिमिटेड, विवेकानन्द नगर सैक्टर नं. 02 भगोरिया जनरल स्टोर अलवर के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा0द0सं0 के तहत समय 11.20 पी0एम0 पर तथा आरोपी कमलेश सैनी पुत्र श्री डालचन्द सैनी, उम्र 33 साल निवासी सी–56 शक्तिनगर, साहब जोहडा अलवर, पुलिस थाना– शिवाजी पार्क अलवर हाल सिक्योरिटी गार्ड (निविदा कर्मी), संस्थापन शाखा, नगर विकास न्यास अलवर जरिये इण्डियन एक्ससे वैलफेयर सोसायटी लिमिटेड, सिरसी रोड, खातीपुरा जयपुर के विरूद्व धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा0द0सं0 के तहत समय 11.50 पी0एम0 पर जरिये फर्द गिरफ्तारी किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 22.02.2022 को समय 12.20 ए0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री मुकेश कुमार चौधरी, श्री नरेन्द्र कुमार जाटव, श्री कमलेश कुमार सैनी, दोनो गवाहान एवं परिवादी के नगर विकास न्यास से रवाना एसीबी कार्यालय पहुंचा।

दिनांक 22.02.2022 को समय 05.00 ए0एम0 पर ब्यूरों के डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर जिसमे दिनांक 21.02.2022 को जरिये मोबाईल परिवादी एवं आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार के मध्य रिश्वत लेन–देन के क्रम में हुई वार्तायें, परिवादी एवं आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार के मध्य रिश्वत लेन–देन के क्रम में रूबरू हुई वार्ताये तथा आरोपी नरेन्द्र कुमार एवं आरोपी कमलेश सैनी के मध्य रिश्वत लेन–देन के क्रम में जरिये मोबाई हुई वार्तायें एवं आरोपी नरेन्द्र कुमार, कमलेश सैनी व परिवादी के मध्य रिश्वत लेन–देन के क्रम में रूबरू हुई वार्ताये रिकॉर्ड की हुई है, उनकी ट्रांसस्क्रिप्ट एवं तीन सीडीं तैयार की गई। जिन्हे मार्क B-1, B-2 एवं B-3 से चिन्हित कर उनमे से दो सी.डी. मार्क B-1, B-2 को सील्डचिट कर उन पर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए.सी.बी. लिया गया तथा तीसरी सी.डी. मार्क B-3 अंकित कर उसको अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त कार्यवाही मे उपयोग लिये गये उक्त डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB के फोल्डर नं. 01 मे रिश्वत माँग सत्यापन के समय की एवं फोल्डर नं0 02 व 03 में रिश्वत राशि लेने देने के क्रम में व रिश्वत लेन–देन के वक्त की वार्तालाप रिकॉर्ड की हुई है। उक्त एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे सील्डचिट कर मार्क S-1 से चिन्हित कर वजह सबूत कब्जे लिया गया।

तत्पश्चात समय 12.30 पी0एम0 पर दिनांक 21.02.2022 को रिश्वत लेन–देन के क्रम में आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार जाटव, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं आरोपी श्री मुकेश कुमार चौधरी, कनिष्ठ सहायक, नियमन शाखा, नगर विकास न्यास अलवर के मध्य हुई रूबरू हुई वार्तालाप की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट एवं ट्रांसस्क्रिप्ट एवं तीन सीडीं तैयार की गई। जिन्हे मार्क C-1, C-2 एवं C-3 अंकित किया गया। मार्क शुदा सी.डी. मार्क C-1, C-2 को सिलचिट चस्पा कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया गया तथा तीसरी सी.डी. मार्क C-3 अंकित कर उसको अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त कार्यवाही मे उपयोग लिये गये उक्त डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB के फोल्डर नं. 02 मे रिश्वत राशि लेने देने के क्रम में व रिश्वत लेन–देन के वक्त की वार्तालाप रिकॉर्ड की हुई है। उक्त एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उस एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो परिवादी, उक्त दोनो गवाहान व आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार जाटव एवं मन् ट्रेप अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर कर उसमें एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB के साथ एक खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सील्डचिट कर उस पर मार्क S-2 अंकित कर वजह सबूत कब्जे लिया गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो सीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट–छांट नही की गई है। जिसकी पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं जब्ती सीडी रिश्वत लेन–देन वार्ता तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। बाद कार्यवाही परिवादी श्री रूपेन्द्र कुमार मेहरा एवं गवाहान श्री धर्मवीर, तकनिकी सहायक–प्रथम व श्री संजय कुमार शर्मा वाणिज्यिक सहायक द्वितीय को मौका ब्यूरों कार्यालय, अलवर से मसकन के लिये रवाना किया गया। तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही में जब्त/सिल्डशुदा समस्त आर्टिकल्स एवं सिल्डशुदा रिश्वती राशि को मालखाना प्रभारी श्री भौरेलाल हैड कानि0 33 को सुपुर्द कर जमा चौकी मालखाना करवाया गया।

उक्त ट्रेप कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपीगण श्री मुकेश कुमार चौधरी पुत्र श्री हरदयाल चौधरी हाल कनिष्ठ लिपिक, नियमन शाखा, नगर विकास न्यास अलवर, नरेन्द्र कुमार जाटव पुत्र श्री खुबीराम जाटव, कम्प्यूटर ऑपरेटर (निविदा कर्मी), संस्थापन शाखा, नगर विकास न्यास अलवर एवं श्री कमलेश सैनी पुत्र श्री डालचन्द सैनी, सिक्योरिटी गार्ड (निविदा कर्मी), संस्थापन शाखा, नगर विकास न्यास अलवर ने बहैसियत लोक सेवक कार्यरत रहते हुए अपनी पदीय स्थिती का दुरूपयोग कर अपने लोक कर्त्तव्य निर्वहन मे भ्रष्टतम आचरण अपना कर एवं आपसी षडयन्त्र रचकर परिवादी श्री रूपेन्द्र कुमार से उसकी माताजी श्रीमती शारदा देवी के नाम से पट्टा जारी करने की एवज मे 20 हजार रूपये की रिश्वत राशि की मांग दिनांक 16.2.2022 एवं 17.02.2022 को आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा अपने एवं अन्य के लिये के करने, दिनांक 21.2.2022 को अपनी उक्त मांग के क्रम मे आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार कम्प्युटर ऑपरेटर द्वारा परिवादी श्री रूपेन्द्र कुमार से अपने स्वंय के लिये, श्री कमलेश सैनी सिक्योरिटी गार्ड एवं श्री मुकेश कुमार चौधरी कनिष्ठ लिपिक नियमन शाखा, नगर विकास न्यास अलवर के लिये 20 हजार रूपये की रिश्वत राशि एवं 12 हजार रूपये की राशि परिवादी की माताजी के पट्टे की फीस हेतु नगर विकास न्यास अलवर मे जमा करवाने हेतु अपने हाथों से ग्रहण करना तथा बाद मे उक्त आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा आरोपी श्री कमलेश सैनी सिक्योरिटी गार्ड (निविदा कर्मी) को बुलाकर उक्त सम्पूर्ण राशि उसे देना तथा पूछने पर नरेन्द्र कुमार द्वारा प्राप्त की गई 20 हजार रूपये की रिश्वत राशि मे से 05 हजार रूपये की रिश्वत राशि श्री मुकेश कुमार चौधरी कनिष्ठ लिपिक, नियमन शाखा, नगर विकास न्यास अलवर को देने हेतु बताया। जिस पर उसे प्राप्त की गई 20 हजार रूपये की राशि मे से 5 हजार रूपये की रिश्वत राशि निकाल कर देने पर आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा उक्त 05 हजार रूपये की रिश्वत राशि ले जाकर आरोपी श्री मुकेश कुमार चौधरी कनिष्ठ लिपिक को देने पर उसके द्वारा उक्त रिश्वत राशि को अपने दाहिने हाथ से ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब मे रखना पाया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही पहले 20 हजार रूपये की रिश्वत राशि नरेन्द्र कुमार के कब्जे से एवं फिर श्री कमलेश सैनी के कब्जे से एवं उसमे से 05 हजार रूपये की रिश्वत राशि आरोपी श्री मुकेश कुमार चौधरी के कब्जे से बरामद होने से उक्त सभी का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7 ए, भ्रष्टाचार निवारण(संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भादसं. मे प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपीगण श्री मुकेश कुमार चौधरी पुत्र श्री हरदयाल चौधरी, उम्र 46 साल निवासी मेहन्दीबाग मौहल्ला, लाल डिग्गी चौराहे के पास जयपुर रोड अलवर, पुलिस थाना अरावली विहार अलवर हाल कनिष्ठ लिपिक, नियमन शाखा, नगर विकास न्यास अलवर, श्री नरेन्द्र कुमार जाटव पुत्र श्री खुबीराम जाटव, उम्र 35 साल निवासी मकान नं. 105 स्कीम नं. 10 बी अलवर हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (निविदा कर्मी), संस्थापन शाखा, नगर विकास न्यास अलवर जरिये चौकस पूर्व सैनिक सिक्योरिटी सर्विस अभिनव सहकारी सोसायटी लिमिटेड, विवेकानन्द नगर सैक्टर नं. 02 भगोरिया जनरल स्टोर अलवर एवं श्री कमलेश सैनी पुत्र श्री डालचन्द सैनी, उम्र 33साल निवासी सी–56 शक्तिनगर, साहब जोहडा अलवर, पुलिस थाना– शिवाजी पार्क अलवर हाल सिक्योरिटी गार्ड (निविदा कर्मी), संस्थापन शाखा, नगर विकास न्यास अलवर जरिये इण्डियन एक्ससे वैलफेयर सोसायटी लिमिटेड, सिरसी रोड, खातीपुरा जयपुर के विरूद्ध उपरोक्त धारा 7, 7 ए, भ्रष्टाचार निवारण(संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भा.द. सं. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, राजस्थान जयपुर की सेवामे सादर प्रेषित है।

(प्रेमचन्द)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
अलवर प्रथम, अलवर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रेमचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-प्रथम, अलवर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1.श्री मुकेश कुमार चौधरी, कनिष्ठ सहायक, नियमन शाखा, नगर विकास न्यास अलवर, 2.श्री नरेन्द्र कुमार जाटव, कम्प्यूटर ऑपरेटर (निविदा कर्मी), संस्थापन शाखा, नगर विकास न्यास अलवर, एवं 3.श्री कमलेश सैनी, सिक्योरिटी गार्ड (निविदा कर्मी) संस्थापन शाखा, नगर विकास न्यास अलवर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 58/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

23.2.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 530-35 दिनांक 23.02.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, अलवर।
4. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर।
5. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0 नि0 ब्यूरो, अलवर-प्रथम, अलवर।

23.2.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर